गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं0:– 330 /प्रवर्तन जोन–5/2020 दिनांक 26/06/2020

परिशिष्ट–3 प्रपत्र 'ब'/भाग–द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र
(आवेदन पत्र परिशिष्ट–3–प्रपत्र 'ब' भाग–अ, ब, स की फोटोकॉपी साथ में संलग्न है।)

मै0 उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0लि0 की अनुमोदित हाईटेक टाउनशिप के सेक्टर–1 के अन्तर्गत, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–जी0एच0–02 के भूखण्डीय विकास (24.46 एकड़) हेतु स्वीकृत मानचित्र संख्या–227/जोन–5/2017–18 दिनांक 29.05.2019 के आधार पर आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र (भूखण्ड संख्या–डी–18 से डी–33, सी–48 से सी–70 एवं सी–77 से सी–95 को छोड़कर) सम्बन्धी आवेदन दिनांक 12.03.2020 व अन्य अभिलेखों का परीक्षण खण्डीय अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर सशर्त आंशिक सम्पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 25.06.2020 को प्रदान की गई है।

अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुरूप मै0 उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0लि0 की अनुमोदित हाईटेक टाउनशिप के सेक्टर–1 के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–जी0एच0–02 के भूखण्डीय विकास (24.46 एकड़) के आंशिक सम्पूर्णता प्रमाण–पत्र (भूखण्ड संख्या–डी–18 से डी–33, सी–48 से सी–70 एवं सी–77 से सी–95 को छोड़कर) पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों क्रम संख्या–01 से 13 के अधीन जारी किया जाता है।

26/6/20

प्रभारी, प्रवर्तन जोन–5

शर्तें एवं प्रतिबन्ध :–

1. वेवसिटी हेतु पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 व मै0 उप्पल चढढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0लि0 के 24.46 एकड़ क्षेत्रफल पर स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या–227 / जोन75 / 2017–18 दिनांक 27.05.2019 में इंगित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा एवं विभिन्न विभागों द्वारा तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन करना होगा।
2. सेक्टर–01 में अवशेष भूमि जिस पर अतिक्रमण है और कब्जा नहीं है। कब्जा उपरान्त सर्विसेज पूर्ण करने का दायित्व विकासकर्ता का होगा। सम्पूर्ण विकास कार्य एवं सर्विसेज पूर्ण कर पुनः पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. हाईटेक टाउनशिप के स्वीकृत तलपट मानचित्र में दर्शित एस0टी0पी0 का निर्माण कर समस्त सेक्टर्स की कनेक्टीविटी पूर्ण करनी होगी।
4. सेक्टर–01 के समस्त विकास कार्य एवं सर्विसेज की कनेक्टीविटी को मुख्य लाईन से जोड़ना एवं रख–रखाव सुनिश्चित करना होगा।
5. यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा जारी गाईड लाईन्स का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
6. शपथ पत्र दिनांक 10.06.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
7. प्रस्तुत सेक्टर–01 का आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र मात्र सर्विसेज यथा रोड, नाली, पेयजल वितरण, सीवरेज, विद्युत, लैण्डस्केपिंग, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, पार्क आदि के लिए मान्य होगा। योजना का विकास कार्य एवं सर्विसेज पूर्ण कर सम्पूर्ण विकास क्षेत्रफल का अन्तिम पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करना होगा।
8. सेक्टर–1 के 24.46 एकड़ के भूखण्डीय विकास के सापेक्ष ई0डब्लू0एस0 / एल0आई0जी0 भवन आरक्षित हेतु शपथ पत्र के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।
9. अवशेष विकास कार्यों को पूर्ण करने हेतु मानचित्र अनुभाग के माध्यम से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत / समय वृद्धि प्राधिकरण से प्राप्त करनी होगी।
10. सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के क्रियान्वयन में रख–रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर / विकासकर्ता की होगी तथा किसी भी समय जांच करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।
11. स्टेट लेवल एनवारमेन्ट इम्पैक्ट असैम्बली अथॉरिटी यू0पी0 तथा अन्य विभागों से प्राप्त अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों / प्रबिन्धों का पालन करना होगा। कार्य हेतु यदि किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता निर्धारित हो तो उसे नियमानुसार प्राप्त करना विकासकर्ता का दायित्व होगा।
12. भू–स्वामित्व अथवा अन्य किसी कारणवश यदि कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो यह विकासकर्ता का दायित्व होगा।
13. प्रकरण / योजना के सम्बन्ध में यदि भविष्य में कोई देयता निर्धारित होती है तो उसका भुगतान विकासकर्ता को करना होगा। उपरोक्त शर्तों / प्रतिबन्धों का पालन न किये जाने की दशा में प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

26-6-2020
अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता
Er. Yogesh Kumar Verma
J. E.

प्रभारी, प्रवर्तन जोन–5
26/6/20

परिशिष्ट–3
(पृष्ठ 1/4)

प्रपत्र–द

विन्यास मानचित्र के पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन पत्र
(उपविधि संख्या–2.18)
..... विकास प्राधिकरण

भाग–अ

1. (I) आवेदक का नाम – मै0 उप्पल चढडा हाईटैक डेवलपर्स प्रा0लि0
   (II) वर्तमान पता – 757, डासना, काजीपुरा मोड़ एन0एच0 24 गाजियाबाद उ0प्र0
2. खसरा/भूखण्ड संख्या तथा– ग्रुप हाउसिंग–2 सेक्टर–1
   योजना का नाम/मोहल्ला/वार्ड – उप्पल चढ्डा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि0(वेवसिटी परियोजना)
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) – 99040.91 वर्ग मीटर/24.46 एकड़
4. अनुमन्य भू–उपयोग – आवासीय
   (I) विन्यास मानचित्र स्वीकृति की तिथि – 13.05.19 स्वीकृत, निर्गत 29.05.19
   (II) परमिट संख्या 227/जोन–5/2017–18
   (III)यदि अनधिकृत विकास का शमन कराया गया हो तो शमन शुल्क जमा करने की रसीद संख्या व दिनांक का विवरण देते हुए शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें नही
   ....
5. भू–उपयोग का विवरण :

क्रमांक	भू–उपयोग की श्रेणी	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार		विकसित		अविकसित	
		क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	5	6
I	आवासीय	56556.69	57.11	49751.66	87.97%	6805.03	12.03%
II	वाणिज्यिक	0.00	0.00	0.00	00%		
III	अन्य	0.00	0.00	0.00	00%		00%
(a)	जल आपूर्ति	0.00	0.00	0.00	89.66%		10.34%
(b)	विद्युत आपूर्ति	0.00	0.00	0.00	89.66%		10.34%
(c)	सीवर आपूर्ति	0.00	0.00	0.00	89.66%		10.34%
(d)	नाली आपूर्ति	0.00	0.00	0.00	89.66%		10.34%
IV	पार्क एवं खुला स्थान	8532.62	8.61	8031.92	94.13%	500.70	5.87%
V	सड़कें तथा गलियॉ	33951.60	34.28	31014.21	91.35%	2937.39	8.65%

Authorised Signatory

6. सुविधाओं की स्थिति :

क्रमांक		सुविधाएं	स्वीकृत मानचित्र में प्राविधान		पूर्णता मानचित्र में प्राविधान			
			संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	पूर्ण		अपूर्ण	
					संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)
I	(I)	प्राइमरी स्कूल	0	0	0		लागू नही है।	
	(II)	नर्सरी स्कूल	0		0			
	(III)	हाई स्कूल	0		0			
	(IV)	आगनवाडी	0		0			
	(V)	कम्यूनिटी सेन्टर	0	0	0			
	(VI)	पुलिस स्टेशन	0	0	0			
	(VII)	स्वास्थ्य केन्द्र	0	0	0			
	(VIII)	मन्दिर	0	0				
	(IX)	पुलिस चौकी	0	0				
	(X)	जनसुविधाएँ (विद्युत सबस्टेशन)	0	0				
	(XI)	अन्य सुविधाएँ (कूडाघर)	0	0	0			

Authorised Signatory

7. निम्न विकास कार्य विन्यास मानचित्र पर अंकित करें :–

(I) सड़कें – (मानचित्र संलग्न)

(II) सड़क के किनारे वृक्षारोपण (आरबोरीकल्चर)– (मानचित्र संलग्न)

(III) पुलिया (कल्वर्ट)– कोई नही

(IV) मार्ग प्रकाश व्यवस्था – (मानचित्र संलग्न)

(V) पेयजल वितरण प्रणाली जिसमें स्लूइस–वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाईड्रेन्ट दर्शाए गए हों तथा भूमिगत जल नलिकाओं का व्यास अंकित हो।– (मानचित्र संलग्न)

(VI) ओवर हैड टैंक व भूमिगत जलाशयों की स्थिति एवं उनकी क्षमता, पम्पों की संख्या एवं उनकी क्षमता।– (मानचित्र संलग्न)

(VII) सीवर प्रणाली जिसमें पाइप का व्यास, इन्वर्ट लेबल देते हुए मेन होल, गली पिट्स की स्थिति। – (मानचित्र संलग्न)

(VIII) सीवेज, पम्पिंग स्टेशन की स्थिति, उसकी क्षमता तथा पम्पों की संख्या एवं क्षमता (यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त विकास किया गया है)

(IX) बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था।– (मानचित्र संलग्न)

(X) विद्युत आपूर्ति प्रणाली जिसमें ट्रान्सफार्मस तथा 11 के.वी.ए. सब–स्टेशन की स्थिति एवं ट्रान्सफार्मरस् की क्षमता अंकित हो।– (मानचित्र संलग्न)

(XI) सीवर का अन्तिम निस्तारण–विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/स्थानीय निकाय आदि की ट्रंक सीवर लाईन में जोड़ने का विवरण।

(XII) ग्राउण्ड वाटर रिचाजिंग सिस्टम। – (मानचित्र संलग्न)

CHADHA HI-TECH DEVELOPERS PVT. LTD.
Authorised Signatory

8. शहर की अवस्थापना प्रणाली से संयोजन की स्थिति/व्यवस्था :
   (I) सड़कें
   (II) पानी की निकासी (ट्रंक नाले से जोड़ने की व्यवस्था)
   (III) पेयजल की व्यवस्था (जल संस्थान/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय आदि से संयोजन की व्यवस्था)
   (IV) विद्युत व्यवस्था (33 के.वी.ए./11 के.वी.ए. लाइन से संयोजन की स्थिति व ट्रांसफार्मर की स्थिति
   (V) सीवर/ट्रंक सीवर से संयोजन की स्थिति

9. विन्यास मानचित्र में आन्तरिक परिवर्तन– (कोई परिर्वन नही है)

   (I) उपविधि के अन्तर्गत है/नही है — हाँ/नही
   (II) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है। — हाँ/नही

   अथवा

   पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृत है। — हाँ
   (यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. विकास कार्यों के मानकों एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में सूचना :
    विन्यास मानचित्र के साथ स्वीकृत विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में कोई विचलन नही हुआ है।

    अथवा

    विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में विचलन है जिसका अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जा चुका है (प्रमाण पत्र संलग्न है) अब कोई ऐसा विचलन नही है जो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत न हो।

आवेदक का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। विन्यास मानचित्र में भू–उपयोग वितरण प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार है। सभी सुविधाएं एवं विकास कार्य अनुबन्ध के अनुसार है। अतः मुझे/हमें उपरोक्त वर्णित ले–आउट प्लान का पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाए।

संलग्नक अभिलेख :
1. मानचित्र की प्रति
2. प्रपत्रो की प्रति
3.

दिनांक..........................

UPPAL CHADHA HI-TECH DEVELOPERS PVT. LTD.
Authorised Signatory

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

नोट : उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

City
A Wave Infratech Project

परिशिष्ट–3

भाग–ब

पंजीकृत वास्तुविद / अभियन्ता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मै0 उप्पल चढडा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि0 पता प्लॉट सं0–757, डासना, काजीपुरा मोड, एन0एच0–9 (24) गाजियाबाद उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएँ स्थल जॉच के उपरान्त सही पायी गयी है इस सम्बन्ध में मेरी जॉच आख्या निम्नवत हैं –

विकसित योजना स्वीकृत तलपट मानचित्र एवम लागू उपविधियों के अनुरूप हैं

विकसित योजना में स्वीकृत विन्याय मानचित्र से कोई विचलन नही है और न ही शमन की आवश्यकता हैं

उक्त स्थिति में पूर्णतः प्रमाणपत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती हैं

REKHA TRIVEDI DEYWAN
Town and Country Planne
Regd. No.1985-08/ITPI

हस्ताक्षर

पंजीकृत वास्तुविद / अभिन्ता–

नाम / पता– Rekha Trivedi Deywani, Plot-757 Dasna Kazipura more NH-24 GZB

लाइसेन्स संख्या– 1985-08/ITPI

लाइसेन्स वैधता की अवधि –

Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.
CIN No. U45201DL2004PTC128784
Sales Pavilion (For customer communication)
Khasra No. 39, Village kazipura
Ghaziabad - 201005 (U.P.)
India
T +91 - 120 - 4188950/52
E customercare@waveinfratech.com
city.thewavegroup.com
Corporate Office
C-1, Sector-3,
Noida - 201301 (U.P.)
India
T +91 - 120 - 4180500
F +91 - 120 - 4130541
Registered Office
60, Friends Colony East,
New Delhi - 110025
India
T +91 - 11 - 46608400
F +91 - 11 - 46608429

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक : 258/MP/c-5/19 दिनांक : 29/5/2019

संशोधित मानचित्र संख्या : 227/जोन–5/2017–18

मानचित्र स्वीकृति पत्र

सेवा में,

मै0 उप्पल चडढा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि0
757 डासना काजीपुरा मोड़, एन.एच–24
गाजियाबाद।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप द्वारा हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत सैक्टर–1 के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–2 के आंशिक भाग पर लगभग 24.46 एकड क्षेत्रफल में भूखण्डीय विकास हेतु संशोधित प्रस्ताव पर उपाघ्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 13.05.19 को निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

1. मानचित्र स्वीकृति की तिथि 09.07.2019 तक वैध है। कोई भी समयवृद्धि शासन द्वारा हाई स्तर कमेटी की स्वीकृति के पश्चात ही मान्य होगी।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर निगम, जी0डी0ए0 इत्यादि) अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। भूमि सम्बन्धी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. बिजली की लाईन से निर्धरित सीमा के अन्दर एवं भवन उपविधि के नियमों के अनुसार कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
5. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
6. स्वीकृत मानचित्र का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
7. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो वह शर्त भी मान्य होगी।
8. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रैम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
9. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
10. विकासकर्ता को नियमानुसार नगरीय विकास शुल्क की अन्तर धनराशि जमा करानी होगी।
11. भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की देयता के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या– 19899/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 31.05.2018 में जो भी निर्णय होगा, उसका अक्षरशः पालन करना होगा एवं इस आशय का प्रस्तुत/दिये गये शपथ पत्र दिनांक 17.05.2019 का अनुपालन करना होगा।

12. अतिरिक्त भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क तथा अवशेष नगरीय विकास शुल्क प्रश्नगत भूमि (पार्ट विन्यास मानचित्र 24.46 एकड़) से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा डी0पी0आर0 स्वीकृत कर दिये जाने पर सम्पूर्ण धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी।

13. आन्तरिक विकास कार्य लागत रू0 25,87,93,898.00 की 50 प्रतिशत धनराशि के समतुल्य अर्थात रू0 12,93,96,950.00 (रू0 बारह करोड़ तिरानवें लाख छियानवें हजार नौ सौ पचास मात्र) की परफॉरमेन्स गारण्टी के रूप बंधक विलेख बही संख्या–1 जिल्द संख्या–7701 के पृष्ठ 29 से 90 तक क्रमांक 2946 पर दिनांक 28.05.2019 को रजिस्ट्रीकृत कराकर प्रस्तुत किया गया है, जिसका अनुपालन करना होगा।

14. कार्यालय आदेश सं0–342/नियो.अनु./12 दिनांक 11.06.2012 के कम मे भवन की कुल निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि रू0 25,87,939.00 (रू0 पच्चीस लाख सतास्सी हजार नौ सौ उनतालीस मात्र) लेवर सेस की मद मे यू.पी. बिल्डिंग एण्ड अदर कन्सं. वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, गाजियाबाद के पक्ष में जमा कराते हुए उसकी रसीद प्रस्तुत कराना होगा।

15. बाह्य विकास शुल्क/आन्तरिक विकास शुल्क हेतु हाईटेक टाउनशिप नीति के विकासकर्ता द्वारा समस्त बाह्य एवं आन्तरिक विकास कार्य स्वयं कराया जाना निर्धारित है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में कोई विकास शुल्क देय नहीं है।

16. डी0पी0आर0 समिति द्वारा प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुत किये गये डी0पी0आर0/ले–आउट प्लान की बोर्ड द्वारा स्वीकृति/निर्गत के पश्चात प्रश्नगत पार्ट ले–आउट प्लान 24.46 एकड़ को मूलरूप से वापस करना होगा।

17. भू–स्वामित्व सम्बन्धी अथवा अन्य किसी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में मानचित्र पर दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

18. विकास कार्य समय सुरक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा, विकासकार्य के कारण स्थल पर किसी भी प्रकार की क्षति एवं दुर्घटना के लिए निर्माणकर्ता स्वय जिम्मेदार होगा।

19. विकासकर्ता को टाउनशिप के विकास कार्यो की भौतिक प्रगति निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा।

20. विकासकर्ता द्वारा अपने स्वयं के प्रयासों से क्रय की गयी एवं प्राधिकरण के माध्यम से अर्जित एवं पुर्नग्रहीत भूमि को स्थल पर भी चिन्हित कर विकसित करना होगा।

21. विकासकर्ता को टाउनशिप के अन्तर्गत वेस्ट जेनरेशन की मात्रा पर्याप्त होने से पूर्व ही स्थाई एस.टी.पी. का निर्माण कराना होगा तथा उ0प्र0 जल निगम के मानकों के आधार पर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की क्षमता व डिजाईन के अनुसार स्थापित करना होगा।

22. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर कोई थर्ड पार्टी इन्टरेस्ट न होने के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव (यदि कोई हो) का निस्तारण करना होगा।

23. योजना में प्रस्तावित 220 के.वी.ए. सब स्टेशन के उपरान्त 132 के.वी.ए. व 66 के.वी.ए. के सब स्टेशन निर्मित/प्रस्तावित न किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि0 से जानकारी प्राप्त कर उनकी राहमति प्राप्त करनी होगी।

24. टाउनशिप में विकास कार्यो को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समयवृद्धि का प्रस्ताव हाई लेवल कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

25. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ई.डब्लू.एस/एल.आई.जी. भवनों की संख्या पूर्व स्वीकृत डी.पी.आर. दिनांक 20.09.2013 के अनुरूप न्यूनतम 13137–13137 रखनी होगी। इसके अतिरिक्त ई.डब्लूएस./एल.आई.जी. भवनों एवं सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण एवं विकास कार्य समानुपातिक रूप से पूर्ण करना होगा।

26. संशोधित डी.पी.आर./विन्यास मानचित्र के सम्बन्ध में संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति तथा सिचाई विभाग, एन.एच.ए.आई, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड आदि से अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र का अनुपालन करना होगा।

27. रेरा के प्राविधानों का अनुपालन करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा, तथा उक्त के उल्लंघन के सम्बन्ध में विकासकर्ता सीधे उत्तरदायी होगें। अन्यथा हेतु किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राधिकरण की जिम्मेदारी नहीं होगी।

28. टाउनशिप हेतु शासन द्वारा समय–सयम पर जारी शासकीय नीतियों का अनुपालन विकासकर्ता को सुनिश्चित करना होगा।

29. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा।

30. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जाये, निर्माण सामाग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामाग्रियों पर पानी का छिड़काव किया जायें एवं डस्ट सस्पेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। इसके साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामाग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जाये।

31. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निम्न दिशा निर्देशों का निर्माण स्थल पर अनुपालन करना होगा:–

i. Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.

ii. The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.

iii. All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.

iv. The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.

v. The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.

vi. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.

vii. Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.

viii. It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.

ix. All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.

x. Wind breaking walls around constructin site.

xi. All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.

xii. Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.

xiii. Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.

xiv. Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.

xv. The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.

xvi. Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.

xvii. Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.

xviii. Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.

xix. Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.

xx. Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.

xxi. Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).

xxii. Green belt creation will also act as a mitigating factor.

उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नकः एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद। 29/05/2019

पत्रांकः दिनांकः

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड जोन–5 को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर नियोजक